छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 3800/2010

याचिकाकर्ता : बी.के. दीवान

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय व आदेश की उद्घोषणा के लिए 10 फरवरी 2011 को सूचीबद्व करे

सही / -

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा **क्रमांक 3800 / 2010**

याचिकाकर्ता : बी.के. दीवान

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

समक्ष : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित :• श्री वीरेंद्र शर्मा, याची की ओर से अधिवक्ता

•श्री अजीत सिंह, राज्य/ उतरवादियो की ओर से पैनल अधिवक्ता

.....

..... **//आदेश//**

(यह आदेश 1 फरवरी, 2010 को घोषित किया गया)

1. इस याचिका में चुनौती 08.04.2008 के आदेश (अनुलग्नक **P**/1) को दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 05.09.2000 से केवल कल्पित पदोन्नति प्रदान की गई है, बिना किसी एरियर (बकाया भुगतान) के, केवल वेतन निर्धारण के उद्देश्य से यह किया गया है।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार — याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति को 05.09.2000 को प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल के पद पर वेतनमान रु. 8000–275–13500 पर पदोन्नत कर दिया गया। याचिकाकर्ता को बिना किसी उचित कारण या तर्क के विचारण तथा पदोन्नति देने से वंचित कर दिया गया। इससे आहत होकर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक 6326/2005 दायर की, जिसका निपटान 15.12.2005 (अनुलग्नक पी/2) को इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिकाकर्ता एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायतें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाने हेतु निर्देशित किया गया था। आगे यह भी निर्देश दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता एक माह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो संबंधित अधिकारी उसे प्राप्ति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर विधि के अनुरूप विचार करें। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन तो प्रस्तुत किया, परंतु उसे इस न्यायालय द्वारा 15.12.2005 (अनुलग्नक पी /2) को दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णयित नहीं किया गया। फलस्वरूप, अवमानना याचिका क्रमांक 87/2004 दायर की गई। अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बाद याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निर्णय 07.05.2007 (अनुलग्नक पी /3) को किया गया, जिसमें यह कहा गया कि विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डीप स') की बैठक दिनांक 21.12.1999 एवं 03.03.2000 में याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिवेदन (संक्षेप में 'वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट') उपलब्ध न होने के कारण याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया जा सका तथा न ही उसे पदोन्नत किया जा सका। अतः उसका अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 08.04.2008 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी /1) पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को 05.09.2000 से केवल कल्पित पदोन्नति वेतन निर्धारण के लिए प्रदान की गई, जिस दिन उसके कनिष्ठ जगदीश प्रसाद पटेल को पदोन्नत किया गया था, और याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का वेतन एरियर नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री वीरेंद्र शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों की गलती के कारण याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को तैयार करना और प्रचलित करना अधिकारियों की ही जिम्मेदारी थी। भले ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं, याचिकाकर्ता पर उस समय उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध न तो कोई विभागीय जांच लंबित थी और न ही कोई आपराधिक मामला। अतः याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से **w.e.f.** पदोन्नति तथा उसके सभी फलस्वरूप लाभों का हकदार था। आगे, प्रतिवादियों का यह तर्क कि 'कार्य नहीं वेतन नहीं'

के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता पिछले वेतन बकाया का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसने उस पद पर कार्य नहीं किया, यह स्थापित सिद्धांत के विपरीत है।

श्री शर्मा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों का अवलम्ब ले रहे है:

- भारत संघ एवं अन्य बनाम के.वी.जानकीरमन एवं अन्य[1]
- कमिश्नर, कर्नाटक I हाउसिंग बोर्ड मुद्दैयाह[2]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य/ उतरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि याचिकाकर्ता पर विचार किया ही नहीं जा सका और उसने वास्तविक रूप से उच्च पद अर्थात प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल पर कार्य नहीं किया, इसलिए 'कार्य नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत के अनुसार वह पिछले वेतन बकाया का अधिकारी नहीं है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों का अवलम्ब ले रहे है:—

- यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम तरसेम लाल एवं अन्य[3]

---

1 (1991) 4 SCC 109

2 (2007) 7 SCC 689

3 (2006) 10 SCC 145

- हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम ओ.पी.गुप्ता एवं अन्य[4]

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुनने, उनके तर्कों तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, यह निर्विवाद रूप से तथा प्रति उतरवादियों द्वारा 07.05.2007 (अनुलग्नक पी /3) के आदेश में स्वीकारित है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति में विचार नहीं किया जा सका बैठकें दिनांक 21.12.1999 तथा 03.03.2000 को याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण उनके मामले पर विचार नहीं किया गया। आदेश दिनांक 07.05.2007 के प्रासंगिक खंड (5) का अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5- उपर्युक्त अनुसार अभ्यावेदक श्री दिवान का नाम पदोन्नति सूची में न तो छोड़ा गया था और न हीं उन्हें साशय पदोन्नति से वंचित किया गया है वरन श्री दिवान के वांछित वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण तत्समय उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकी थी.

श्री दिवान के परिभ्रमण प्रकरण पर लिये गये निर्णय के संबंध मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर उनके पत्र क्रमांक 950/1527/2007/1/25 दिनांक 3.5.2007 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री बी. के. दिवान को प्राचार्य,

4 (1996) 7 SCC 533

हाई स्कूल से प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार परिभ्रमण में विचार नहीं किया गया है."

6. श्री सिंह ने अपने तर्क में दिनांक 20.03.1974 के एक परिपत्र (अनुलग्नक **R/A**) का संदर्भ दिया, जो उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो निलंबन की अवधि में थे या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित थी। परिपत्र में यह उल्लेख था कि यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में दोषमुक्त) कर दिया जाता है, तो भुगतान संबंधी निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि उसने उस अवधि में काम नहीं किया था। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:[3]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. अब प्रश्न यह है उपस्थित हुआ है कि जिस पद पर उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है उससे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए यदि कम से कम सेवा की अवधि अनिवार्य रखी गई है तो उस व्यक्ति की सेवा किस तिथि से गिनी जाएगी. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय जांच के दौरान उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को जिस तारीख से पदोन्नत किया गया था उसी तारीख से वरिष्ठ व्यक्ति की सेवा की गिनती उपर्युक्त प्रयोजन के लिए की जाए. दूसरा निर्णय यह लिया गया है कि पैराग्राफ में उल्लेखित श्रेणी के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के लिए भी जिस तारीख से उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है उस

तारीख से उसे भी पदोन्नत मानकर उस तारीख के बाद की अवधि को भी वेतनवृद्धियों के लिय गिनी जाएं किन्तु जितनी अवधि में उस व्यक्ति ने उस पद का कार्य वास्तविक रूप से नहीं किया है उस अवधि का उसको बकाया पाने की पात्रता नहीं होगी.."

7. वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध न तो कोई निलंबन आदेश था और न ही कोई विभागीय जांच लंबित थी। अतः दिनांक 20.03.1974 का परिपत्र इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस मामले में विचार हेतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि किसी कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के परिसंचरण के अभाव में विचार एवं पदोन्नति से वंचित कर दिया गया हो, और उसके कनिष्ठ को विचार करके पदोन्नत कर दिया गया हो, तो क्या ऐसी स्थिति में बाद में प्रदत्त **w.e.f.** पदोन्नति की तिथि से वह कर्मचारी वेतन के सभी परिणामस्वरूप एरियर तथा अन्य लाभों का अधिकारी होगा?

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.वी. जानकीरमन के मामले में यह स्पष्ट किया था कि सामान्य नियम **"**कार्य नहीं वेतन नहीं**"** उन मामलों पर लागू नहीं होता जहाँ कर्मचारी, यद्यपि कार्य करने के लिए इच्छुक था, परन्तु उसे अधिकारीगण द्वारा उसकी किसी भी गलती के बिना कार्य से दूर रखा गया। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"25. हम अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत तर्कों से अधिक प्रभावित नहीं हैं। 'कार्य नहीं वेतन नहीं' का सामान्य नियम उन मामलों पर लागू नहीं होता जैसा कि वर्तमान मामला है, जहाँ कर्मचारी कार्य करने के लिए तैयार है, किन्तु अधिकारियों द्वारा उसे उसकी किसी गलती के बिना कार्य से दूर रखा गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से कार्य से दूर रहता है जबकि उसे कार्य उपलब्ध है। यही कारण है कि मूलभूत नियम17 (1) भी ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. तरसेम लाल और अन्य तथा ओ.पी. गुप्ता और अन्य के मामलों पर राज्य/उतरवादियों द्वारा लिया गया अवलम्ब इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि तरसेम लाल और अन्य में रेलवे बोर्ड का एक परिपत्र दिनांक 15.09.1964/17.09.1964, जिसमें यह प्रावधान था कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि कर्मचारी उच्च पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा था। बाबू लाल बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड[5] का मामला, जिस का राज्य/ उतरवादियों ने अवलम्ब लिया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि प्रतीत होता है कि उस मामले में पदोन्नति आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय कार्यवाही लंबित होने के कारण रोकी गई थी, जिसमें कर्मचारी अंततः दोषमुक्त हो गया। वर्तमान मामले में, पहली बात यह है कि कोई

भी कार्यपालिका निर्देश या परिपत्र ऐसा नहीं है जो वेतन एरियर के भुगतान को रोकता हो। दूसरी बात यह कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति उसके किसी दोष के कारण नहीं, बल्कि अधिकारियों की उस चूक के कारण अस्वीकृत की गई, जिन्होंने याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को उसके कनिष्ठ के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति. द्वारा विचार किए जाने के समय उपलब्ध नहीं कराया।

[5](2009)4 **SCC** 287

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयुक्त, कर्नाटक आवास बोर्ड[2] के प्रकरण में निम्नलिखित देखा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"33. इस विषय को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह सत्य है कि किसी पक्ष के पक्ष में राहत प्रदान करते समय

न्यायालय को विधि के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए तथा उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए। तथापि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं

जहाँ तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय, न्याय के व्यापक हित में, न्याय के सिद्धांतों—न्याय, समानता एवं सद्भावना—

को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसा मामला लें जहाँ स्पष्ट रूप से किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है। जबकि तथ्य यह है कि वह कुछ लाभों का अधिकारी है, तथापि, वे लाभ उसे प्रदान नहीं किए गए। उसके अभ्यावेदनें अवैधानिक रूप से तथा अनुचित तरीके से अस्वीकृत कर दी गईं। अंततः वह न्यायालय की शरण में आता है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसके साथ गंभीर अन्याय हुआ है और उसके साथ अन्यायपूर्ण, अनुचित तथा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से व्यवहार किया गया तथा उसे उन लाभों से वंचित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय प्राधिकरण को निर्देश देता है कि वह कर्मचारी को वे सभी लाभ प्रदान करे, जो उसे प्राप्त हो जाते यदि उसे अवैध रूप से उन लाभों से वंचित न किया गया होता। क्या ऐसे मामलों में प्राधिकरण यह तर्क दे सकता है कि चूँकि कर्मचारी ने कार्य नहीं किया (जबकि उसे अवैध रूप से कार्य से वंचित रखा गया), इसलिए उसे लाभ नहीं दिए जा सकते? ऐसे तर्क को स्वीकार करना इस बात के बराबर होगा कि किसी पक्ष को उसके अपने गलत कार्य से अनुचित लाभ लेने दिया जाए। इससे वास्तविक न्याय होने के स्थान पर अन्याय ही होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. हम इस बात से अवगत और सचेत हैं कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में सामान्य नियम ही होता है। परन्तु उपयुक्त मामलों में न्यायालय सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विधि के अनुरूप उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। न्यायालय किसी मामले में यह भी मान सकता है कि कर्मचारी कार्य करने के लिए इच्छुक था, परन्तु उसे अवैध रूप से कार्य करने से रोका गया। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय प्राधिकरण को यह निर्देश दे सकता है कि वह उसे वह सभी लाभ प्रदान करे "जैसे कि उसने कार्य किया हो"। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक पूर्णतः अपरिवर्तनीय विधिक सिद्धांत है कि परिणामस्वरूप लाभों के भुगतान का कोई निर्देश न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। और यदि न्यायालय ऐसा निर्देश देता है तो प्राधिकरण उसे अनदेखा कर सकता है—यदि ऐसा निर्देश देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि किया गया हो (जैसा कि वर्तमान मामले में किया जा चुका है)। अतः अपीलकर्ता बोर्ड का यह आधानहीन तर्क निर्थक है और अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब, जब उपर्युक्त सुप्रतिष्ठित विधिक सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को लाभ इस कारण नहीं रोका गया कि कोई निलंबन, विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक मामला लंबित था, बल्कि केवल इसलिए रोका गया कि उसके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण उसे विचारार्थ नहीं लिया गया, जबकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उतरवादी अधिकारियों के ही कब्जे में थे। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है, जहाँ यदि याचिकाकर्ता को लाभ प्रदान नहीं किया जाता**।** यदि पिछला वेतन का भुगतान न किया जाए तो घोर अन्याय होगा। अतः यह विधिपूर्वक घोषित किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर "कोई कार्य नहीं, कोई वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता को कार्य करने से वंचित किया गया था, जबकि वह पात्र था तथा उच्च पद अर्थात् प्रधानाचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तत्पर था, जिस पद पर उसके कनिष्ठ पर विचार कर उसे पदोन्नत कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 05.09.2000 से प्रभावी रूप से (**w.e.f.** 05.09.2000) वेतन निर्धारण सहित समस्त मौद्रिक लाभ एवं अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा तथा उसी आधार पर उसके पेंशनरी लाभों का भी निर्धारण किया जाएगा।

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

15. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही / -

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Vivek Mishra.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur